



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012020-215535
CG-DL-E-18012020-215535

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]
No. 36]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2020/पौष 27, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2020/PAUSHA 27, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 38(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 44क के स्पष्टीकरण-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करती है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए संयुक्त अरब अमीरात एक व्यक्तिकारी राज्यक्षेत्र होगा और संयुक्त अरब अमीरात में निम्नलिखित न्यायालय उस राज्यक्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालय होंगे, अर्थात्:—

(1) फेडरल न्यायालय—

(क) फेडरल सुप्रीम कोर्ट;

(ख) अबु धाबी अमीरात, शारजाह, अजमान, उम एल कुवैन और फुजैरा में फेडरल, फस्ट और अपील न्यायालय;

(2) स्थानीय न्यायालय—

(क) अबु धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट;

(ख) दुबई न्यायालय;

(ग) रस एल खैमाह जुडिशियल डिपार्टमेंट;

(घ) अबु धाबी ग्लोबल मार्केट न्यायालय;

(ङ) दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेन्टर न्यायालय।

[फा. सं. जे-14014/1/2015-न्यायिक]

राजवीर सिंह वर्मा, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department of Legal Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2020

G.S.R. 38(E).—In exercise of the powers conferred by Explanation 1 to section 44A of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby declares, United Arab Emirates to be a reciprocating territory for the purposes of the said section and the following Courts in United Arab Emirates to be superior Courts of that territory, namely:-

(1) Federal Court-

- (a) Federal Supreme Court;
- (b) Federal, First Instance and Appeals Courts in the Emirates of Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain and Fujairah;

(2) Local Courts-

- (a) Abu Dhabi Judicial Department;
- (b) Dubai Courts;
- (c) Ras Al Khaimah Judicial Department;
- (d) Courts of Abu Dhabi Global Markets;
- (e) Courts of Dubai International Financial Center.

[F. No. J-14014/1/2015-Judl.]

RAJVEER SINGH VERMA, Addl. Secy.